दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 R 11 में पूर्व में बहस सुनी गयी। प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व विधि के सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन किया गया। दोनो पक्षो को सुना जाकर वाद में वर्णित तथ्यो के अध्ययन के बाद स्पष्ट है कि वाद इकरारनामे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती तथा सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय का होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा० दी० साबित होने पर स्वीकार कर वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा० दी० के तहत खारिज किए जाने का आदेश किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण कर शामिल फाइल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक।